सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 67 राँची, शनिवार

3 फाल्गुन 1935 (श०)

22 फरवरी, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

5 फरवरी, 2014

1. उपायुक्त, हजारीबाग का पत्रांक-1449 दिनांक 06.09.2012
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का संकल्प सं0-11409, दिनांक 06.10.2012 एवं पत्रांक-12386, दिनांक 23.12.2013
3. श्री अशोक कुमार सिन्हा (से0नि0 भा0प्र0से0), विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-340, दिनांक 31.08.2013

संख्या-5/आरोप-1-632/2014 का.- 1097-- श्री संदीप कुमार मधेशिया, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक 10/86, द्वितीय बैच, गृह जिला- महाराजगंज उ0 प्रदेश), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरकट्ठा, हजारीबाग, सम्प्रति- निलंबित मुख्यालय- प्रमंडलीय आयुक्त, उ0छो0 प्रमंडल, हजारीबाग के विरूद्ध उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-1449 दिनांक 06 सितम्बर 2012 के द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप

प्रतिवेदित करते हुए इन्हें निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैः-

1. उप विकास आयुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-1822/जि0ग्रा0, दिनांक 03 अगस्त 2010 के द्वारा बिरसा सेवा समिति, रामगढ़, कोयरी टोला, जिला-रामगढ़ के प्रस्ताव पर नियमानुसार समीक्षा कर इंदिरा आवास योजना के तहत निर्मित आवासों में उन्नत चूल्हा एवं शौचालय का निर्माण हेतु निर्देश दिया गया था, जिसके तहत श्री मधेशिया द्वारा उक्त संस्था को वित्तीय वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 तक निर्मित इंदिरा आवास में चूल्हा एवं शौचालय निर्माण हेतु कुल 2193 आवासों की सूची के विरूद्ध क्रमशः चेक संख्या-678349, 678350, दिनांक 29 मार्च 2011 के द्वारा रूपये 5,00,000/- (पाँच लाख) एवं चेक संख्या-672618, दिनांक 25 अप्रैल 2011 के द्वारा रूपये 20,00,000/- (बीस लाख) एवं चेक संख्या-672619, दिनांक 3 मई 2011 के द्वारा रूपये 25,00,000/- (पच्चीस लाख) का अग्रिम भुगतान किया गया, जबकि कुल लक्ष्य 2193 के विरूद्ध 15,35,100/- (पन्द्रह लाख पैंतीस हजार एक सौ रूपये) मात्र का भुगतान किया जाना था। इस प्रकार इनके विरूद्ध रूपये 34,64,900/- (चैतीस लाख चैंसठ हजार नौ सौ रूपये) अधिक का भुगतान कर संस्था को अतिरिक्त लाभ पहुँचाया गया है।

2. श्री मधेशिया द्वारा बिरसा सेवा समिति, रामगढ़, कोयरी टोला, जिला-रामगढ़ को एक ही दिन यथा दिनांक 29 मार्च 2011 को दो अलग-अलग चेकों के माध्यम से यथा चेक संख्या-678349 एवं 678350 द्वारा कुल रूपये 5, 00,000/- (पाँच लाख) की राशि का अग्रिम भुगतान किया गया, जो नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है।

3. श्री मधेशिया के द्वारा उन्नत चूल्हा एवं शौचालय का निर्माण के समय नियमित रूप से पर्यवेक्षण नहीं किया गया तथा सरकारी राशि का भुगतान उक्त संस्था को उनके माँगों के अनुरूप दी जाती रही एवं कार्य से अधिक राशि का भुगतान कर संस्था को अतिरिक्त लाभ पहुँचाया गया। जबकि जाँच के क्रम में अधिकांश चूल्हा एवं शौचालय निर्माण कार्य अपूर्ण पाया गया।

4. श्री अशोक राम, सचिव, बिरसा सेवा समिति, रामगढ़, कोयरी टोला, जिला-रामगढ़ को निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण किये वगैर ही इनके द्वारा रूपये 50, 00,000/- (पच्चास लाख) का अग्रिम भुगतान कर दी गई, जबकि कार्य के अनुरूप ही राशि का भुगतान इनके द्वारा किया जाना चाहिए था।

उपायुक्त, हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में श्री मधेशिया के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-11409, दिनांक 06 अक्टूबर 2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु निर्णय लिया गया एवं श्री अशोक कुमार सिन्हा (से0नि0 भा0प्र0से0), विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री अशोक कुमार सिन्हा, विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री मधेशिया के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-340, दिनांक 31 अगस्त 2013 द्वारा समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में श्री मधेशिया के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किये गये हैं।

श्री मधेशिया के विरूद्ध लगाये गये आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-49 के अधीन इनकी तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने तथा आरोप में सन्निहित आर्थिक क्षति का 1/4 भागतः की वसूली इनके मासिक वेतन से प्रतिमाह कुल वेतन का 25 प्रतिशत की दर से करने की सजा इनपर अधिरोपित करने हेतु प्रस्तावित किया गया। तद्नुसार इनसे द्वितीय कारण पृच्छा करने हेतु निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-12386, दिनांक 23 दिसम्बर 2013 द्वारा श्री मधेशिया से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया है। श्री मधेशिया द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अपने पत्र दिनांक 06 जनवरी 2014 द्वारा समर्पित किया गया है।

श्री मधेशिया के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन तथा इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गयी। समीक्षा में यह पाया गया है कि इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में किसी तथ्यगत बिन्दु पर ध्यान आकृष्ट नहीं कराया गया है और न ही कोई ऐसा नया तथ्य अपने बचाव में प्रस्तुत किया गया है, जिसपर इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के दौरान विचार नहीं किया गया हो। अतः इनके द्वितीय कारण पृच्छा की जवाब को अस्वीकृत करते हुए संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त की जाती है। इनके विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में लगाये गये सभी आरोप प्रमाणित होते हैं।

श्री मधेशिया के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए प्रस्तावित दण्ड यथा इनकी तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने तथा आरोप में सन्निहित आर्थिक क्षति का 1/4 भागतः की

वसूली इनके मासिक वेतन से प्रतिमाह कुल वेतन का 25 प्रतिशत की दर से करने की सजा इनपर अधिरोपित की जाती है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री संदीप कुमार मधेशिया, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरकट्ठा, हजारीबाग, सम्प्रति- निलंबित मुख्यालय- प्रमंडलीय आयुक्त, उ0छो0 प्रमंडल, हजारीबाग एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

यतीन्द्र प्रसाद ,

सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 67—50।